

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-23/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती बबली प्रजापति नर्स-2(परिवीक्षाधीन) का चिकित्सा प्रमाण पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	30.05.2016	06.06.2016	08	असाधारण अवकाश
2	01.10.2016	12.10.2016	12	
3	25.10.2016	31.10.2016	06	
4	08.11.2016	14.11.2016	07	
5	02.01.2017	10.01.2017	09	
6	16.01.2017	23.01.2017	09	
7	13.02.2017	23.02.2017	11	
8	17.04.2017	21.04.2017	05	
9	18.05.2017	27.05.2017	10	
कुल दिवस			87	

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 57 दिवस की अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 08-1-2019

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/बी-23/2018/ 36

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि, विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर